भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति

उदेश्य– म.प्र. के भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा के अध्ययन के लिये।

(1) पात्रता :–

1. म.प्र. का मूल निवासी हो ।
2. केवल वे ही छात्र पात्र होंगें जिन्होनें वर्ष 2009–10 में हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री की परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
3. व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों । (हाई स्कूल 10 वीं) हायर सेकेन्ड्री (10+2)
4. भूमिहीन कृषक मजदूर के पुत्र/पुत्री हो इसका प्रमाण पत्र तहसीलदार व्दारा जारी किया गया हो ।
5. छात्र–छात्राओं के पालकों को आय सीमा रूपये 25,000/–(पच्चीस हजार मात्र) वार्षिक से अधिक न हो । इस हेतु आय प्रमाण पत्र तहसीलदार का मान्य किया जावेगा ।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो ।

व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा से संबधित निम्न पाठ्यक्रम/संकाय सम्मिलित है :–

1. पॉलिटेकनिक
2. इंजीनियरिंग –बी.ई.
3. चिकित्सा शिक्षा (एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.डी.एस.)
4. पैरामेडिकल कोर्स (चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत)
5. कृषि इंजिनियरिंग (बी.ई.ए.जी., डी.ई.ए.जी.)
6. बी.एससी.नर्सिंग
7. सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय व्दारा संचालित किये जा रहे हों, जैसे :– बी.लिब. बी.एड.,बी.पीएड, बी.ए.एलएल.बी. आदि ।

(2):– छात्र.वृत्ति की राशि

इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय व्दारा संचालित किये जाने वाले समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु प्रति वर्ष **2,500/–(दो हजार पॉच सौ मात्र)** की छात्रवृत्ति देय होगी ।

ये छात्रवृत्ति चयनित छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्राप्त होगी अर्थात स्नातक अंतिम वर्ष तक प्रदाय की जायेगी ।

(3) चयनः–

इस छात्रवृत्ति का चयन एक समिति व्दारा केवल छात्रवृत्ति को समय सीमा मे ंयोग्यता के आधार पर अर्थात मेरिट के आधार पर उस वर्ष की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों मे ंसे ही किया जावेगा ।

(4) नवीनीकरणः–

विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक कार्य निष्पादन, संतोषजनक प्रगति एवं आचरण नियमित उपस्थिति तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद समुचित प्रतिपूर्ति के पश्चात नवीनीकरण हेतु संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा व्दारा स्वीकृति आदेश जारी किये जायेगें । इस संबध में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक संबंधित प्राचार्यों/संस्था प्रमुखों से छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त कर छात्रवृत्ति देना सुनिश्चित करेंगें । नवीनीकरण हेतु छात्र–छात्रायें अपने आवेदन संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को भेजे जावेंगें ।

(5) अन्य शर्तेंः–

छात्रवृत्ति धारक जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हैं उसके लिए अन्य कोई छात्रवृत्ति अथवा बजीफा प्राप्त नहीं करेगा, यदि ऐसे विद्यार्थियों को पूर्व से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही होगी तो उसे इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए ऐसी छात्रवृत्ति छोडना पडेंगी । अर्थात एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी ।